

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन बाल अस्पताल में कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक
सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 05.ज्ञा.के का 13.10.2015 के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी कलावती सरन बाल अस्पताल में कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ यमों के मसौभर्ती निदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30, (Thenkholal baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)॥(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

श.मध्येता
ग. प्र. सामंत
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली
दिनांक :

(भारत सरकार)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2019

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1992 को अधिक्रांत करते हुए, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (कार्यालय अधीक्षक), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरहृता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मेट्रिक्स में स्तर या बेतनमान	चयन या अवयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक	4(चार)* (2019)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	बेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोनॉटि द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) होता।	प्रोनॉटि: कलावती सरन बाल अस्पताल में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 4 (रु. 25500-81100) में 10 वर्ष की तिथिमित सेवा नाले उच्च श्रेणी लिपिकों में सेप्रोनॉटि। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ संगठनों या सार्वजनिक सेवा के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी	समूह ख विभागीय पुष्टि समिति में निम्नलिखित शास्त्रीयों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल 2. उप-निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उपनिदेशक	लागू नहीं होता। - अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य	
			(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद			

	<p>धारण करते हों; या</p> <p>(i) वेतन मेट्रिक्स के स्तर 4 के वेतनमान में दस वर्ष की नियमित सेवा और</p> <p>(ii) निम्नलिखित अहंता और अनुभव रखते हों:</p> <p>(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री।</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक सेवा के उपर्योग या स्वाचत्त निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्य में दो वर्षों का अनुभव।</p>
	[ए.11018/49/2016- एमएच-1]

(जी.पी. सामंता)
अवर सचिव (अस्पताल)